रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112023-249962
CG-DL-E-09112023-249962

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4643] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2023/कार्तिक 17, 1945
No. 4643] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2023/KARTIKA 17, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2023

का.आ. 4843(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्यांक का.आ. 435(अ), तारीख 13 फरवरी, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 435(अ), तारीख 13 फरवरी, 2017 का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक

का.आ. 435(अ), तारीख 13 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और पैरा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"5. **मानीटरी समिति.-** (1) केंद्रीय सरकार द्वारा गठित मानीटरी समिति के रूप में ज्ञात एक समिति होगी जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(i)	जिला क्लेक्टर, उदयपुर	अध्यक्ष, *पदेन*;
(ii)	राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि।	सदस्य;
(iii)	राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ।	सदस्य;
(iv)	लोक निर्माण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य, *पदेन*;
(v)	खनन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य, *पदेन*;
(vi)	सिंचाई विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य, *पदेन*;
(vii)	पर्यटन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य, *पदेन*;
(viii)	पुलिस विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य, *पदेन*;
(ix)	नगर परिषद् के जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य, *पदेन*;
(x)	उद्योग विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य, *पदेन*;
(xi)	नगर सुधार न्यास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य, *पदेन*;
(xii)	क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, *पदेन*;
(xiii)	उप-प्रभागीय अधिकारी, उदयपुर	सदस्य, *पदेन*;
(xiv)	उप-वन संरक्षक	सदस्य-सचिव, *पदेन*।

(2) उप-पैरा (1) के खंड (ii) और (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल ऐसे नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष तक होगा।

6. मानीटरी समिति के कृत्य:- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

IndiaCode

(4) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपाबंध-V में दिए गए प्रारूप के अनुसारजून तक 30 उस वर्ष की , प्रस्तुत करेगी ,इस अधिसूचना के साथ संलग्न है ।

(6) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।"।

[फा. सं. 25/34/2015- ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. करकेट्टा , वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 435 (अ), तारीख 13 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2023

S.O. 4843(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the power conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 issued in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 435 (E), dated the 13th February, 2017;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 435 (E), dated the 13th February, 2017;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 435 (E), dated the 13th February, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraph 5 and 6, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"5. Monitoring Committee.- (1) There shall be a committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall consist of the following persons, namely:-

(i)	District Collector, Udaipur	Chairman, *ex-officio*;
(ii)	One representative of non-Governmental organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Rajasthan	Member;
(iii)	one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Rajasthan	Member;
(iv)	District level officer of the Public Work Department	Member, *ex-officio*;
(v)	District level officer of the Mining Departments	Member, *ex-officio*;
(vi)	District level officer of the Irrigation Departments	Member, *ex-officio*;

(vii)	District level officer of the Tourism Departments	Member, *ex-officio*;
(viii)	District level officer of the Police Departments	Member, *ex-officio*;
(ix)	District level officer of the Municipal Council	Member, *ex-officio*;
(x)	District level officer of the Industry Departments	Member, *ex-officio*;
(xi)	District level officer of the Urban Improvement Trust Department	Member, *ex-officio*;
(xii)	Regional Officer of the State Pollution Control Board	Member, *ex-officio*;
(xiii)	Sub-divisional Officer, Udaipur	Member, *ex-officio*;
(xiv)	Deputy Conservator of forest	Member-Secretary, *ex-officio.*

(2) The term of office of members nominated under clauses (ii) and (iii) of sub-paragraph (1) shall be not exceeding three years from the date of their nomination.

6. **Functions of the Monitoring Committee.** – (1)The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof and refer to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in proforma specified in Annexure-V, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.".

[F. No. 25/34/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 435(E), dated the 13th February, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.09 19:22:31 +05'30'